अतिआवश्यक
CM Announcement

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक : प. 25 (6)साप्र/4/2014 जयपुर, दिनांक 12/11/14

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,
   समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान
2. विभागाध्यक्ष,
   समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान
3. समस्त जिला कलक्टर,
   राजस्थान।

विषयः–माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के दौरे में प्रदत्त निर्देशों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें–

1. अधूरे पडे राजकीय भवनों के संबंध में उनके अधूरे रहने के कारणों की स्पष्ट जानकारी इस विभाग/संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने का श्रम करावें तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करावें।
2. ऐसे भवन जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु प्रयोग में नहीं हैं, उनके उपयोग नहीं हो पाने के कारण एवं औचित्य (यदि कोई हो तो) की जानकारी उत्तरदायी अधिकारियों से प्राप्त कर इस विभाग/संबंधित विभाग को प्रेषित करवाने का श्रम करावें।
3. निर्मित भवनों या अन्य विकसित सुविधाओं को लाभकारी उपयोग में लाए जाने के समग्र प्रयास किए जाएँ और उन्हें अनुपयोगी होने से बचाया जाए।
4. विभिन्न जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार के नवीन राजकीय भवन के निर्माण की स्वीकृति विभागों द्वारा प्रदान नहीं की जाए।

सभी प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर उपर्युक्त निर्देशों की पालना हेतु अपने स्तर से वांछित कार्यवाही प्राथमिकता से कराने का श्रम करावें।

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव